कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक २२१५ / १४-१(13881 / 2015) अलीगढ़ः दिनांकः अप्रैल, २५ ,2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

বিষয:- Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/ 13881/2015)-regarding.

संदर्भः—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक—8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ का पत्रांक—3294 / Petrolpump/13881/2015 दिनांक 29.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के उक्त संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु० 447228.00 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है
		एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–2 एवं 3)
<u>III.</u>	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–5)
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक

	indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	धनराशि रू०–336000.00 (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है।
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04 2008, and 0.05 2008 in Writ Detition (Givin)	द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वाछित धनराशि रू० 73,557.00 (रु० तिहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है
vii.	24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India The User Agency shall furnish an undertaking to pay	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
	the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–10)
х.	down the slopes. The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
xi.	slope stable. The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–11) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
1 . 	consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–13)
xiii.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–14)
500	manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	ממייז מיז אומה בו (ממייזמ–14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre- designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–15)
XV.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–16)

xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–17)
	nearby forest areas	
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पन्न संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–18)
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र
xix.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area	संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–19) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–20)
xx.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–21)
xxi.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–23)
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
Elik -	no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–24)
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–25)
xxv.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—26)
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–27)
xxvii.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–28)

xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023	द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–29)
---------	--	--

सलग्नक–परिवेश पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय

(भीमें सौत) अपर प्रधान मुख्य वर्ने संरक्षक, प्रभारी वन संरक्षक, 🙏 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक २.न । ८ / १४-१, दिनांकित। प्रतिलिपिः-निम्नुलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं
- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8 (भीम सेन) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभारी वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़। पत्रांक 3२१५/ Petrol Pump/13881/2015 अलीगढः दिनांकः मार्च, २१, 2025

सेवा में,

वन	संरक्ष	क,	
अर्ल	ोगढ़	वृत्त,	अलीगढ़।

विषय:- Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/ 13881/2015)-regarding. संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन संत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) नर्ह दिल्ली का

— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक–8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि0, नोएडा का पत्रांक MTR/NAY/13881/1501/02 दिनांक 24.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विशयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके कम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक1)
ii,	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रु० 447228 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दौ सो अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–2 एवं 3)
. 111.	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–५त्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–5)
V.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रु–336000/– (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वांछित धनराशि रू० 73,557 (रु० तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 एवं 7)

vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
ix,	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—10)
Х.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–13)
xIII.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—14)
xiv.	The user agency shall carry out muck disposal at pre- designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–15)
xv.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—16)
xvi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–17)
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–18)
xviii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–19)
xīx.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–20)
XX.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is	कर प्रावत हो (सलग्नक—20) शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—21)

	unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	
XXIa	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक22)
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–23)
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–24)
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—25)
XXV.	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–26)
xxvî.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—27)
XXVII,	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—28)
xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023 -परिवेश पोर्टल पर अपलोड ।	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–29)

भवदीय

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

- पत्रांक / दिनांकित।
 प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 2. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ०प्र०)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।



दिनांक- 24.03.2025

पत्रांक - MTR/ NAY/13881/1501/02. सेवा में.

> प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषय:-- Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

संदर्भः--

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024 एवं आपका पत्रांक 2332/24/26 दिनांक 31.01.2022

उपरोक्त विशयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 16.10.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके कम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखिति समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

S.No.	Condition	Compliance
i.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
ii.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रुठ 447228 (रुठ चार लाख सैंतालिस हजार दौ सो अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलम्न है। (संलम्नक–2 एवं 3)
iii.	The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—4)
iv.	The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—5)
v.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विमाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु

Nayara Energy Limited (Formerly known as Essar Oil Limited) World Trade Tower 1105 - 1106. 11th floor, Sector - 16 Noida, Uttar Pradesh 201 301 www.nayaraenergy.com



A REAL PROPERTY AND A REAL



	Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	वांछित धनराशि रू-336000/- (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3 एवं 6)
vi.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter – 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वांछित धनराशि रू० ७३,557 (रु० तेहत्तार हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 एवं 7)
vii.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	शर्त के अनुपालन में क्वनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—8)
viii.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—9)
ix.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
х.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
xi.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
xii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–13)





natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024	कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
	det sind of fact the my
streams/rivers/canals should be done in such a	
manner that it does not hamper the natural course	
-	
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-15)
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-16)
*	
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-17)
-	
-	
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न
•	कर प्रेषित है। (संलग्नक-18)
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-19)
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-20)
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक–21)
-	
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न
	कर प्रेषित है। (संलग्नक-22)
	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न
	शत के अनुपालन में वयनवद्धता प्रमाण—पत्र सलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—23)
• • •	44 ALAN 6 (NO. 14 20)
	मिने के अन्यत्र में बनाव नग गाणा पर संपत
The forest land proposed to be diverted shall under	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक24)
	manner that it does not namper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986 No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government The forest land proposed to be diverted shall under

Nayara Energy Limited (Formerly known as Essar Oil Limited) World Trade Tower 1105 - 1106. 11th floor, Sector - 16 Noida, Uttar Pradesh 201 301 www.nayaraenergy.com For NAYARA ENERGY LIMITED



	no circumstances be transferred to any other	
	agency, department or person without prior	
	approval of the Central Government	
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—25)
XXV.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—26)
xxvi:	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—27)
xxvii.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—28)
xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—29) For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)



शर्त संख्या-i के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–i के अनुसार "Legal status of the diverted forest land shall remain

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

unchanged" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-ii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-ii के अनुपालन में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना हेतु निर्गत गाइडलाइन के अनुसार गणना कर, वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि रू० 447228 (रू० चार लाख सैंतालिस हजार दौ सो अट्ठाइस मात्र) कैम्पा,

नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment History की छायाप्रति संलग्न है। For NAYARA ENERGY LIMITED

> Authorised Signatory नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित 13 प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ

		Online payment histor	Online bayment history made by Ilser Arency under CAMDA	er CAMDA
A Help				
Sno. Proposal Detail	Application_No Application Da No (New) PR	Application Date of IN- Amount to be Paid/Amount Pa No (New) PRINCIPLE Paid (in Rs.) St	Payment Status	Demand Letter
1 FP/UP/Others/13881/2015 (/viewreport.aspx? pid=FP/UP/Others/13881/2015) Retail Outlet	OTHERS138812015372 19913881372	CA: 336000/-Addl 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety 0/-, Addl 0/- Zone: 0/-, Penal 47228/- NPV: 73557/- NPV: 47228/- NPV: 73557/- NPV: 47228/- Other Charges10/- i: Other Charges20/- i: Charges30/- i: Iotal: 856785/-	 Fund Demand Verified by :16 Jan 2025 Verified by :16 Jan 2025 Nodal Officer On Union Bank Bank Name : Union Bank Of India Mode of NETT/RTGS Payment : Challan) Challan 12 Mar Challan 12 Mar Challan 2025 Transaction 27 Feb Date 2025 	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/160120251210006435_FPUPOthers138812015_User_Fund_Demanded_3320X.pr Generated Challan (/UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS138812015372) K
				FOR NAYARA ENERGY LIMITED
OO BHAR	о ВНАВАТ (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)		Mente to Endoner (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)	GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
(HTTP://www.pmindia.gov.in/en/)	DIA.GC	УV.IN/) TOOV (HTTPS://,www.мүGOV.IN())	प्रतिहस्ताः	(нтті
© Content Owned, Updated Terms & Conditions (Termso Policy (HyperlinkingPolicy.as (contact.aspx)	l and Maintained by Ministry of En andConditions.aspx) Privacy Poli spx) Accessibility Statement (Ac	© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of Intua निदेशक Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) Copyright Policy (фрактатели) Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) Disclaimer (Distramer.aspx) Contact Us (contact.aspx)	Sovernment อีโกโลยี निदे (เธครุงโญสาคอแท้งสล้อง มาพ Disbadimer.aspx) Contact L	राक मिल्लोसेसेपुर्फ Us



शर्त संख्या—iii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--iii के अनुसार " The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ Nor



शर्त संख्या-iv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-iv के अनुसार " The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency " के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित अभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-iv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-iv के अनुसार " The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency " के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित N प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या- v के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–v के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 154 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रु–336000/– (तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment Details की छायाप्रति संलग्न है।

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ Nor



शर्त संख्या-vi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–vi के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु वांछित धनराशि रू0 73,557 (रू॰ तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी है एवं Online Payment History की छायाप्रति संलग्न है।

For NAYARA ENERGY LIMITED **Authorised Signatory**

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ^{kkb}



शर्त संख्या-vii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–vii के के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है कि "अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।"

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ pitch



शर्त संख्या-viii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–vii के के अनुपालन में प्रत्यार्वित की जाने वाली भूमि के सापेक्ष प्रतिपूर्ति धनराशि परिवेश पोर्टल के e-payment module (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण (CAMPA) द्वारा प्रबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश CAMPA का खाते में जमा की गयी है।

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक बानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-ix के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--ix के अनुसार "Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित भ्रि प्रभागीब निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-- x के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-x के अनुसार " The user agency will provide retaining walls, breast walls

and drainage as per requirement to make the slope stable" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है। For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ 260



शर्त संख्या-xi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xi के अनुसार " The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



Comprehensive Soil Conservation Plan to be implemented at the project cost

Name of Project:

Diversion of 0.0768 Ha of PF land for access to Retail Outlet of M/S Nayara Energy Limited under Aligarh Forest Div. at Village-Ukhlana, Kh. No.- 1470 at Ch. 15.150 on LHS of Aligarh-Ramghat Road (MDR-105), Distt-Aligarh,

Proposal No.: FP/UP/Others/13881/2015

Entry Area approached to retail outlet:- 233.855 sq.mtr.

Separator island area:- 300.00 sq.mtr.

Exit area approached from retail outlet:- 233.855 sq.mtr.

Total Protected Area proposed for diversion:- 0.0768 ha.

Various Soil Conservation works will be conducted on the available land in the retail outlet and protected forest area like:-

- (i) Prevention of erosion of soil.
- (ii) Preservation and improvement of soil.
- (iii) Planting and preservation of trees, shrubs and grass on uncultivable land
- (iv) Improvement of water regime, including moisture conservation.
- (v) Any other works assigned to the soil conservation wing as directed by the State Forest Department for the betterment of soil.

For attaining above goals plantation will be done at the cost of user agency on shoulders of exit and exit part, on seperator island and on the periphery of the retail outlet.

Site specific details:-

Plantation on entry area:- 10 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m. **Plantation on exit area:**- 10 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Plantation separator island: 20 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Plantation on the inner boundary of fuel station:- 30 saplings to be planted on entry area with the spacing of 1×1.5 m.

Species to be planted:- Dwarf, Decorative and Medicinal plants to be raised on the approached road. Following species planned to be planted

- 1. Ashok (Ashok pendula)
- 2. Putranjiva (Putranjiva roxburghii)
- 3. Kaner
- 4. Green purple hedge to be developed
- 5. Miscellaneous decorative plants will be planted

Total number of plants to be planted:- 70

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक Nayara Energy Limited (Formerly known as Essar Oil Limited) World Trade Tower 1105 - 1106. 11th floor, Sector - 16 Noida, Uttar Pradesh 201 301 www.nayaraenergy.com For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory



शर्त संख्या-xii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–xii के अनुसार "Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)



शर्त संख्या-xiii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xiii के अनुसार "The designing of culverts/bridges, if any, over the natural 8B/UP/06/34/2018 I/84759/2024 streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ 24



शर्त संख्या-xiv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–xiv के अनुसार " The user agency shall carry out muck disposal at predesignated sites in such a manner so as to avoid its rolling down" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक बानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़---रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xv के अनुसार "The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित अभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ २७४



शर्त संख्या-xvi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xvi के अनुसार "No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xvii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xvii के अनुसार "The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xviii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xviii के अनुसार "The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक ज्ञामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ



शर्त संख्या-xix के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xix के अनुसार "The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

मतिहस्ताक्षरित N प्रमार्गाचा जिदेशक सामाजिक वातित्वीः प्रभागः), अस्तीगढ़ Ver



शर्त संख्या-xx के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xx के अनुसार "The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित भ्रि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-xxi के अनुसार "The cost of felling of trees shall be deposited by the User

Agency with the State Forest Department" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है। For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xxii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत मारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xxii के अनुसार "The layout plan of the proposal shall not be changed

without the prior approval of the Central Government" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है। For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित वालिको प्रमाम आलोगढ



श्तर्त संख्या-xxiii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम॰डी॰आर॰--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xxiii के अनुसार "The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित भ्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



श्तर्त संख्या-xxiv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आरं०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–xxiv के अनुसार "The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षारत प्रभागीय निदेशक जामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xxv के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी बैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–XXV के अनुसार "The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xxvi के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xxvi के अनुसार "Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED **Authorised Signatory**

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xxvii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०--105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम--उखलाना के खसरा संख्या--1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--xxvii के अनुसार "The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

> For NAYARA ENERGY LIMITED Authorised Signatory नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०)

प्रतिहस्ताक्षरित प्रभागीय निदेशक सामाजिक बानिकी प्रभाग, अलीगढ़



शर्त संख्या-xxviii के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है॰ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–xxviii के अनुसार "Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023" के अनुपालन में वचनवद्धता दी जाती है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

प्रतिहस्ताक्षरित भि प्रभागीय निदेशक हामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़

To,

Officer on Special Duty,

Ad-hoc CAMPA.

202 Trikoot I, Bhikaji Cama Place,

New Delhi-110066

Please confirm the amount whether deposited in CAMPA or not through return Email of vermalalji68@gmail.com

1	Name of the Regional office	Lucknow
2	State/Distt./Forest Division to which the proposal relates	Social Forestry Division, Aligarh
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Nayara Energy Ltd. (Formely Essar Oil Limited)
4	Extent of forest area involved	0.0768 ha.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	No
7	Date of 1 st Stage Clearance	16.10.2024
8	Extent of CAMPA charges, headwise viz:	
	(a) Compensatory Afforestation	Rs. 3,36,000.00 (Three lakh thirty six thousand only)
	(b) Additional CA	
	(c) Penal CA	
	(d) Catchment area treatment	÷
	(e) Wildlife Management Plan	
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	
	(g) Net Present Value	Rs. 73,557.00 (Seventy three thousand five hundred fifty seven only)
	(h) Any other charges/ Levies(pl Specify)	
	Penal NPV	Rs. 4,47,228.00 (Four lakh forty seven thousand two hundred twenty eight only)
9	Details of Bank (Bank, Draft no., Date & Amount), headwise against items indcated in paragraph & above.	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Amount has been deposited through e-payment portal UTR No. PUNBR52025022718985791 Date: 27.02.2025
11	Bank (corporation bank, lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	Union Bank of India, FCS Bangalore Date of Deposition- 27.02.2025
12	Any other remarks	

Proforma

N Division Director, Social Forestry Division, Aligarh